



फतेहगढ़ पुलिस




प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 12.03.2026

मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित गैंग सदस्य सुखवीर द्वारा अवैध रूप से स्वयं के नाम अर्जित की गयी अवैध चल सम्पत्ति 03 ट्रक UP76K8223, UP76K7402, UP76T4054 कीमत करीब 45,24,429/- रूपये (पैंतालीस लाख, चौबीस हजार, चार सौ उन्नीस रूपये) को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम गैंग लीडर 1. जुबैर खान पुत्र लड्डन खान निवासी मो0 गढी इज्जत खां कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, गैंग सदस्य 2. रामनरेश पुत्र रामचन्द्र निवासी गुड़ मण्डी कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मूल निवासी मो0 छपट्टी थाना ठठिया जनपद कन्नौज, 3. सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रुटौल थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 4. पुष्पेन्द्र पुत्र रनवीर सिंह निवासी कैल्था थाना अलीगंज जनपद एटा, 5. आदेश पुत्र श्रीकृष्ण निवासी पपडी खुर्द बुजुर्ग थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 6. मोबिन पुत्र रहमत खान निवासी मो0 दुन्दी गढी पितौरा थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 7. तारिक उर्फ तालिब पुत्र शाहिद खां निवासी चौक मऊरशीदाबाद थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, 8. पवन मिश्रा पुत्र रामनरेश निवासी ललई थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के पंजीकृत किया गया था। जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश/वाद संख्या 04/26 दिनांकित 24.02.2026 के अनुपालन में गैंग सदस्य अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल संपत्ति 03 अदद ट्रक UP76K8223, UP76K7402, UP76T4054 को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा जब्त किया गया।



अभियुक्त/गैंग सदस्य सुखवीर उपरोक्त की जब्त की गई अवैध चल सम्पत्ति-

45,24,429.00/- रुपये

अभियोग उपरोक्त में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त/गैंग सदस्य सुखवीर पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रुतौल थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अपने नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल सम्पत्ति कीमत 03 ट्रक कीमत करीब 45,24,429 /- रुपये को आज दिनांक 12.03.2026 को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा जब्त कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जब्ती की कार्यवाही में लगा पुलिस बल-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
03. हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह
04. का0 विनीत कुमार
05. का0 सचिन कुमार
06. का0 नवनीत कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।